संख्या-1/1375/47-का-3-2013-24/9/2013

प्रेषक

आर0 एन0 उपाध्याय
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक
उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2013**

विषय :वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अन्तर्गत व्यय हेतु अवशेष द्वितीय छमाही के लिए उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

****

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-564/47-का-3/2013-24/9/2012, दिनांक 10.04.2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सहायक अनुदान/ राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 हेतु आय-व्यय के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-03 सन् 2013) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार स्वीकृत व्यय के लिए रू0-2,63,00,000/-(रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र) की अवशेष द्वितीय छमाही (माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014) तक के लिए अनुदान संख्या-19 लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के निम्नलिखित मानक मद / उपशीर्ष में सम्मुख अंकित धनराशि रू0-1,31,50,000/- अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (रूपये हजार में)

उपशीर्ष / मद का नाम	**बजट साहित्य के पृष्ठ-4 के अनुसार स्वीकृत कुल धनराशि**	**प्रथम 06 माह (अप्रैल, 2013 से सितम्बर, 2013) के व्यय हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि**	**अवशेष द्वितीय छमाही (माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2013 तक) के व्यय हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	26300	13150	13150
योग	**26300**	**13150**	**13150**

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

3- विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/ उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया गया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2013-2014 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही की जायेगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जाएगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जायेगा एवं उक्त बिल को अनु सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ फोइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किए गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-18/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए934/दस-2008 मित-1/2007, दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

8- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा, किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/ डाकखाने में जमा नही की जायेगी।

9- उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधानानुसार किया जाने वाला व्यय कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाना महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी का उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी0एम-13 के प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ-साथ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

10- अनुदान संख्या-19 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाऐं-आायेजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ के लिए वित्तीय वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक में अवशेष द्वितीयछमाही (माह अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014) 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0-2,63,00,000/- (रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र) में से धनराशि रू0-1,31,50,000/- (रूपये एक करोड़ इक्तीस लाख पचास हजार मात्र) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28.03.2013 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।।

भवदीय

(आर0एन0 उपाध्याय)
सचिव।

संख्या-1375(1)/47-का-3-2013-24/9/2012, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/ द्वितीयउत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन को विभागीय वेबसाइट पर उक्त शासनादेश को अपलोड करने हेतु।
6- नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक) उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2 , उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आर0एन0 उपाध्याय)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in